

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**जनहित याचिका संख्या – 39/2026**

चैतूराम

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, लखनऊ  
एवं 8 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राम सिंह वर्मा, धनंजय तिवारी, श्रवण कुमार भारती

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

**न्यायालय संख्या – 17**

**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम सिंह वर्मा, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विशाल तेहलानी और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने ग्राम- बैरिया सुरजनपुर, परगना- सादुल्ला नगर, तहसील- उतरौला, बलरामपुर में स्थित भूमि गाटा संख्या 1583, क्षेत्रफल 0.0450 हेक्टेयर, और गाटा संख्या 1582, क्षेत्रफल 0.0400 हेक्टेयर पर किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है, जो खलिहान के रूप में दर्ज है।
3. उतरौला के तहसीलदार द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि उपरोक्त गाटा संख्याओं पर अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही संस्थित की जा चुकी है।
4. उपरोक्त निर्देश अभिलेख में ग्रहण किये गए हैं।
5. तदनुसार, संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश जारी करते हुए रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



कि वे उपर्युक्त गाटा संख्याओं पर अतिक्रमण हटाने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत संस्थित कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक संपन्न करें।

22 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

**अस्वीकरण:-** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।